न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री एल0एन0 सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 37 / 2018 / अपील / आर्म्स / झालावाड
दायरा दिनांक 5.10.2018
किस्म अपीलः धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959

उनवान

रमेश कुमार पारेता उर्फ रमेशचन्द पारेता आत्मज आनन्दीलाल जाति कलाल निवासी खानपुर थाना खानपुर जिला झालावाड।

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 झालावाड (राज0)।

....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री मेघराज सिंह शक्तावत अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 18.11.2019

अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मि0 नं0 36 / 15 सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 झालावाड बनाम रमेश कुमार पारेता मे पारित निर्णय दिनांक 18.11.2015 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की है।xx

1. प्रस्तुत अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1744 / 01 को अवधि 1.1.2014 से 31.12.2016 तक के लिये नवीनीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय के यहां आवेदन पत्र पेश किया गया। अपीलार्थी के आचरण एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के संबध मे जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना उल्लेखित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये जवाब असन्तोषप्रद पाये जाने पर आर्म्स एक्ट की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक मे आदेश क्रमांक 6083 दिनांक 15.9.2014 से शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश की अपील 7 / 2015 न्यायालय हाजा मे पेश की गई जिसमे पारित निर्णय दिनांक 18.5.2015 अनुसार अपील, अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त कर प्रकरण निर्णय मे विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के संबध मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिमांड आदेश के परिपेक्ष्य मे पुलिस अधीक्षक झालावाड से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट क्रमांक 13650 दिनांक 18.8.2015 अनुसार

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

प्रकरण सं0 74/93 धारा 341, 323, 324 आईपीसी मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 8.8.99 को बरी किया जाना, प्रकरण सं0 379/97 धारा 341, 323 आईपीसी मे निर्णय दिनांक 4.7.2003 को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रताडना देकर छोडा जाना व धारा 5 के तहत 100/– अभियोजन राशि जमा कराने का आदेश दिया जाना उल्लेखित करते हुये नवीनीकरण किये जाने मे असहमति प्रकट की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाली का कोई आधार प्रकट नही होने से आर्म्स एक्ट की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक मे निर्णय दिनांक 18.11.2015 पारित कर पूर्व पारित आदेश क्रमांक/न्याय/2014/6083 दिनांक 15.9.2014 को यथावत रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाज़ा मे इस आशय की पेश की गई कि अनुज्ञापत्र सन् 2001 से जारी है जो निरन्तर नवीनीकृत होता रहा है। प्रकरण रिमांड होने उपरांत अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल करने का अनुरोध किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य आदि पर गौर नही कर जेरअपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है क्योंकि अपीलांट को किसी भी आपराधिक प्रकरण मे दंडित नही किया ना पत्रावली पर कोई शिकायत आई है ऐसी सूरत मे माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना मे अपीलांट का अनुज्ञापत्र बहाल करना चाहिये था। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.11.2015 व दिनांक 15.9.2014 अपास्त कर शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल करने की आज्ञा प्रदान करने की इस्तदुआ की गई। xx

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।xx

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिमांड आदेश की पालना मे प्रकरण मे समुचित तथ्यों पर गौर किये बिना पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानते हुये जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। बहस मे आगे बताया कि अपीलांट को किसी भी प्रकरण मे दण्डित नही किया गया है ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे कोई ऐसी शिकायत आई है जिससे शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण मे बाधा हो। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल करने का आदेश पारित करना चाहिये था। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश दिनांक 18.11.2015 व दिनांक 15.9.2014 अपास्त किया जाकर शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किया जावे। xx

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

4 विद्वान राजस्कीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट कमांक 13650 दिनांक 18.8.2015 अनुसार अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंसा नही किये जाने के दृष्टिगत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये न्यायालय हाजा के रिमांड आदेश की पालना मे समुचित तथ्यों पर गोर करते हुये जेरअपील आदेश पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का दोष नही है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अपीलांट द्वारा विलम्ब के संबध मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे जेरअपील निर्णय दिनांक 18.11.2015 के उपरांत अपीलांट ने बीमार हो जाने से चलने फिरने मे असमर्थ होना वर्णित कर विलम्ब अवधि क्षम्य किये जाने का अनुरोध करते हुये उक्त आशय का स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट कमांक 13650 दिनांक 18.8.2015 से अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध (1) मुक0 सं0 74/93 धारा 341,323, 324 आई आईपीसी मे न्यायालय द्वारा दिनांक 8.8.99 को बरी किया गया (2) मुक0 सं0 379/97 धारा 341, 323 आईपीसी मे न्यायालय द्वारा दिनांक 4.7.2003 को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रताडना देकर छोडा गया। धारा 5 के तहत 100 रू0 अभियोजन राशि जमा कराने का आदेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुज्ञाप्तिधारी की आम शोहरत ठीक नही होने से लाईसेन्स नवीनीकरण की अनुशंसा नही की जाने पर पुलिस अधीक्षक की उक्त विवेचित रिपोर्ट के मध्यनजर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक मे आदेश कमांक 6083 दिनांक 15.9.2014 को जेरअपील आदेश/निर्णय दिनांक 18.11.2015 से यथावत रखा गया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उसको किसी भी प्रकरण मे दण्डित नही किया गया है ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे कोई ऐसी शिकायत आई है जिससे शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण मे बाधा हो। अपीलांट के तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट दिनांक 18.8.2015 से प्रकट होता है कि अपीलांट को मुक0 सं0 379/97 धारा 341, 323 आईपीसी मे न्यायालय द्वारा दिनांक 4.7.2003 को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रताडना देकर छोडा गया। धारा 5 के तहत 100 रू0 अभियोजन राशि जमा कराने का आदेश दिया गया तथा पुलिस अधीक्षक ने अपनी उक्त विवेचित रिपोर्ट मे अपीलार्थी की आम शोहरत ठीक नही होना उल्लेखित करते हुये शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंसा नही की जाने के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

संभागीय आयुक्त

जेरअपील निर्णय दिनांक 18.11.2015 पारित किया है। अतः पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट के परिपेक्ष्य मे अपीलांट का यह कथन कि उसको किसी भी प्रकरण मे दण्डित नही किया गया है उचित प्रतीत नही होता है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित पाते है। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एन0सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा